



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



— खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित —

क्या आपको COVID-19 की जांच की आवश्यकता है?

- यदि आपको **खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई** जैसे लक्षण नहीं हैं तो आपको COVID-19 की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि आपमें उपरोक्त लक्षण हैं और आपने इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, या संयुक्त अरब अमीरात, आदि किसी भी COVID-19 प्रभावित देश की यात्रा की है या आप प्रयोगशाला से प्रमाणित COVID-19 के किसी रोगी के संपर्क में आये हैं, तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की **24X7 हेल्पलाइन 011-2397 8046** पर सम्पर्क करें।
- हेल्पलाइन सेवा आपके संपर्क विवरणों को नोट करेगी और COVID-19 के **परीक्षण प्रोटोकॉल** के साथ आपसे संपर्क करेगी।
- प्रोटोकॉल के अनुसार यदि आपको जांच की आवश्यकता है तो आपकी जांच केवल **सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला** में की जायेगी।

- सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची <https://www.icmr.nic.in/> पर उपलब्ध है।
- वर्तमान में, COVID-19 के परीक्षण के लिए कोई भी निजी अस्पताल/निजी प्रयोगशाला अधिकृत नहीं है।

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं.

+91-11-23978046 पर कॉल करें या ई-मेल करें **ncov2019@gmail.com**